बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापन

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री अशोक कुमार, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नरकटियागंज, प0 चम्पारण सम्प्रति सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अरेराज, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध अवैध रूप से राशि वसूल करने, व्यक्तिगत लाभ के लिए पद का दुरूपयोग करने एवं सरकारी कर्त्तव्य की अवहेलना संबंधी आरोप के लिए जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण के पत्रांक– 02 दिनांक– 12.01.2015 द्वारा प्रपत्र 'क' में आरोप–पत्र गठित होकर विभाग को प्राप्त हुआ है । श्री कुमार के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण से प्राप्त उक्त आरोप पत्र में उल्लिखित आरोपो के संदर्भ में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है ।

2. श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु उप निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

3. संचालन पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि आरोपी पदाधिकारी को आरोप प्रपत्र–'क' एवं साक्ष्यों की एक प्रति अपने स्तर से तामिला कराते हुए तीन माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूरी कर जाँच प्रतिवेदन निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे ।

4. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प0 चम्पारण को साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी, नियुक्त किया जाता है ।

5. आरोपी पदाधिकारी को यह निदेश दिया जाता है, कि आरोप पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर अपना बचाव बयान संचालन पदाधिकारी को अवश्य समर्पित कर देंगे ।

ह०/–
(पंकज कुमार)
सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08गो0आ0 (पू0 चम्पारण)–18/2015 4257 /खाद्य,पटना/दिनांक 27.05.15

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण एवं पू0 चम्पारण/उप निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर –सह– संचालन पदाधिकारी(अनु0 की दो प्रतियों के साथ)/ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प0 चम्पारण –सह– साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी (अनु0 की एक प्रति के साथ)/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/ प्रशाखा पदाधिकारी–03 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार/ श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार तथा श्री अशोक कुमार, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अरेराज, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव ।

D:\sec-08\sec_8\Off_ord..doc.AKS